

	(ज) "जिला न्यायाधीश" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है; (झ) "चुनाव आयोग" से धारा 94 में निर्दिष्ट अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का चुनाव आयोग अभिप्रेत है; (ञ) "चुनाव आयुक्त" से धारा 94 में निर्दिष्ट अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का चुनाव आयुक्त अभिप्रेत है; (ट) "फर्स्ट कैप्टेन" से धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत निर्वाचित ग्राम परिषद का फर्स्ट कैप्टेन अभिप्रेत है; (ठ) "द्वीप" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र का ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे प्रशासक अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में द्वीप घोषित कर सकेगा ; (ड) "द्वीप परिषद" से धारा 52 के तहत द्वीप के लिए गठित द्वीप परिषद अभिप्रेत है; (ढ) "भूमि" से पृथ्वी का भूतल का एक भाग अथवा जल के भीतर के भीतर हो अथवा न हो और उससे सम्बद्ध सभी चीजें, अथवा ऐसे भागों से सम्बद्ध कोई चीज जो स्थायी रूप से जकड़ा हुआ हो, अभिप्रेत है; (ण) "सरकारी राजपत्र" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का राजपत्र अभिप्रेत है; (त) "जनसंख्या" से पूर्ववर्ती जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, में अभिनिर्धारित जनसंख्या अभिप्रेत है; (थ) "विहित" से इस विनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; (द) "सार्वजनिक सड़क" से पथ, सड़क, स्ट्रीट चौक, कोर्ट, गली, कार्ट ट्रैक, पगडंडी अथवा राइडिंग पाथ अभिप्रेत है जिस पर मार्ग का अधिकार है, चाहे किराए के माध्यम से अथवा नहीं और जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं । (i) किसी सार्वजनिक पुल अथवा कॉजवे से सड़क मार्ग; (ii) किसी सार्वजनिक पुल अथवा कॉजवे से पैदल मार्ग और; (iii) ऐसे स्ट्रीट; सड़क, सार्वजनिक पुल अथवा काजवे और सड़क मार्ग के किनारे से संपत्ति के पार्श्वस्थ सीमा तक की भूमि से जुड़ा नाला; (ध) सचिव जनजातीय कल्याण से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के जनजातीय कल्याण सचिव/विशेष सचिव, प्रभारी, अभिप्रेत है;	
--	---	--